BEFORE THE HON,BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. No. 916/2022

Hakimuddin Husain .... **Petitioner**

V/s

State of MP and Ors. ....**Respondents**

Submission of Compliance report

The Respondent State of Madhya Pradesh most humbly and respectfully submits as under:-

1. That, petitioner has submitted a letter petition before this Hon,ble Tribunal submitting therein that the reserved land for plantation in every village of the Ujjain district have been encroached and therefore same are not being utilize for plantation activity.

2. That, the aforesaid Letter petition was treated and registered as original Application bearing No.916/22 (Hakimuddin Husain V/s State of MP & ors.)

3. That, while issuing notices to the state of Madhya Pradesh vide order dated 05.01.2023 this Hon,ble tribunal has constituted a joint committee with direction to submit factual and action taken report before the Hon,ble Tribunal. Subsequently vide order dated 16.03.23 this Hon,ble tribunal has fix a date for appearance of various officers of the state of Madhya Pradesh through VC.

4. That, in compliance of the Hon,ble tribunals order dated 05.01.23, three members committee has functioned and gone through the matter and prepare a fact finding report for kind perusal of this Honb,le Tribunal. A copy of the Report dated 04.05.23 is annexed herewith and Marked as **ANNEXURE R/1.**

PRAYER

It is therefore humbly prayed that present compliance report and fact report may kindly be taken on record.

UJJAIN
Dt. 4/05/2023

Submitted by

Dhirendra Parashar
Sub Divisional Officer (Revenue)
Ghattiya,District-UJJAIN (MP)
OIC of the Case
(For Respondent No.6)

संयुक्त प्रतिवेदन

(माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (एनजीटी) द्वारा ओ.ए. क्रमांक–916/2022 श्री हाकिमुद्दीन हुसैन विरूद्ध मुख्य सचिव, म.प्र. शासन एवं अन्य में दिनांक 05.01.2023 को जारी आदेश के पालन में)

माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसी कम में आज दिनांक 02.05.2023 मंगलवार को दोपहर 04 बजे माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश के पालन में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन उपस्थित रहे।

प्राप्त आदेश के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से समस्त तहसीलदारों से वृक्षारोपण हेतु कुल आरक्षित भूमि एवं उक्त भूमि पर अतिकमण के संबंध में अद्यतन जानकरी आहूत की गई। प्राप्त जानकारी को समिति के समक्ष रखा गया, जो कि निम्नानुसार है :–

क्र.	तहसील	वृक्षारोपण हेतु भूमि	
		कुल आरक्षित भूमि	अतिक्रमण
1	2	3	4
1	उज्जैन	15.960	0.000
2	उज्जैन नगर	232.008	0.000
3	कोठीमहल	0.000	0.000
4	घट्टिया	267.273	4.80
5	खाचरौद	17.950	0.000
6	नागदा	3.740	2.120
7	बडनगर	38.700	0.000
8	महिदपुर	12.630	0.000
9	झारड़ा	10.680	0.000
10	तराना	0.000	0.000
11	माकड़ोन	0.000	0.000
	जिला उज्जैन	598.941	6.92

उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार भूमियों का सत्यापन का कार्य किया गया है। तालिका में अंकित क्र 4 तहसील घट्टिया में कुल 4.80 भूमि पर अतिकमण दर्शाया है, जिनमें से 1.00 हे. भूमि पर रहवासी मकान निर्मित है व इतनी ही भूमि पर गौशाला निर्मित है तथा 0.05 हेक्टर पर स्कूल निर्मित है, शेष भूमि पर कृषि किया जाकर अतिकमण किया गया है, जिसे शीघ्र ही हटा दिया जायेगा। उसी प्रकार क्र 6 तहसील नागदा की

Scanned with OKEN Scanner

2.120 हे. भूमि में से .008 हे. भूमि पर स्कूल की बाउण्ड्रीवाल बनी हैं व शीघ्र ही शेष भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया जावेगा।

वन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील घट्टिया ग्राम सोडंग के सर्वे न. 155 में वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त भूमि रकबा 12.960 हे. का अतिक्रमण हटाकर कब्जा वन विभाग को दिया जा चुका है।

जिले में वृक्षारोपण हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं। वन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम दिवेल, तहसील खाचरोद, रकबा 53.481 हे. क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराया गया है, इसी प्रकार ग्राम रूनिजा, तहसील बड़नगर रकबा 15.14 हे. वृक्षारोपण कार्य के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है, ग्राम लसुडियाधांधु, तहसील माकड़ोन रकबा 65.69 हे. वृक्षारोपण कार्य के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। राजस्व विभाग से वृक्षारोपण हेतु प्राप्त भूमि ग्राम सोडंग तहसील घट्टिया सर्वे न. 155 रकबा 11.96 हे. क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है।

(सुश्री अंकिता धाकरे)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत उज्जैन

(कुमार पुरुषोत्तम)
कलेक्टर एवं जिला
दण्ड़ाधिकारी जिला उज्जैन

(मनोज कुमार अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
उज्जैन

Scanned with OKEN Scanner